जेएनएनयूआरएम कार्यकम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित ''राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति''(एस.एल.एस.सी.) की दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

सर्वश्री–

1.श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2.वी0 के0 चौरसिया, संयुक्त सलाहकार, सी.पी.एच.ई.ई.ओ. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2.श्रीमती प्रोमिला भल्ला, एसोसियेट टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानर, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3.एन0 के0 सिंह, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4.उमा शंकर सिंह, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5.जिन्नूरैन अहमद खॉ, उप सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6.अरूण कुमार दुबे, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
7.अजय स्वरूप, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8.ए0 के0 मित्तल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9.के0 के0 अग्रवाल, टीम लीडर, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
10.प्रेम आशुदानी, मुख्य अभियंता, सी.एण्ड.डी.एस. उ0प्र0 जल निगम,
11.आर0 के0 गर्ग, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद।
12.राकेश चन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
13.सी0 के0 त्यागी, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
14.आर0 के0 द्विवेदी, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
15.आर0 एस0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, झॉसी।
16.एस0 के0 गुप्ता, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
17.पी0 के0 सिन्हा, मुख्य अभियंता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
18.वी0 पी0 सिंह, मुख्य अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
19.के0 के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
20.जे0ए0अंसारी,महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रणइकाई,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
21.ए0 के0 राय, महाप्रबन्धक, सी.एण्ड.डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
22.दिनेश चन्द्रा, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, बरेली।
23.ए0 पी0 यादव, परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड.डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
24.निजामुद्दीन खॉ, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम,
25.सी0 जी0 दुबे, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, देवरिया।
26.जे0 बी0 राय, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
27.डी0 के0 शुक्ला, अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, झॉसी।
28.राम बिहारी अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, बांदा।
29.राजेन्द्र सिंह, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम,
30.मो0 ताहिर, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, औरैया।
31.विनोद कुमार, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।

32.एस0 के0 गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कन्नौज।
33.मुन्ना सिंह, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, बदायूँ।
34.जे0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, फिरोजाबाद।
35. ओ0पी0 सिंह, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
36. जी0 लाल, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, फिरोजाबाद।
37.महेन्द्र राम, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, गाजीपुर।
38.अरविन्द, सहायक अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, आजमगढ़।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हुआ :–

एजेण्डा बिन्दु 1. जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन/प्रगति समीक्षा हेतु "राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति" (एस.एल.एस.सी.) की बैठक दिनांक 27.07.2011 के कार्यवृत्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या।

अवगत कराया गया कि बरेली पेयजल पुनर्गठन परियोजना पर सीपीएचईईओ, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आपत्तियों पर निराकरण आख्या भारत सरकार को प्रेषित की गई। शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू. आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी कार्यांश के अन्तर्गत उक्त परियोजना की डी.पी.आर. अनुमानित लागत ₹ 7800.04 लाख की स्वीकृति दिनांक 07 जून, 2012 को प्रदान की गई है।

रामपुर सड़क एवं ऊपरिगामी सेतु परियोजना के स्थान पर प्रस्तावित 03 परियोजनाएं– बरेली पेयजल पुनर्गठन, अयोध्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं फ़ैज़ाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं समिति द्वारा गत बैठक में स्वीकृत किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया कि बरेली पेयजल पुनर्गठन परियोजना पर सीपीएचईईओ, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आपत्तियों पर निराकरण आख्या भारत सरकार को प्रेषित की गई। शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत उक्त परियोजना के डी.पी.आर. अनुमानित लागत रू. 7800.04 लाख की स्वीकृति दिनांक 07 जून, 2012 को प्रदान की गई तथा परियोजना की अद्यतन् भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत है। परियोजना पर रू. 18.20 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है, अयोध्या व फैजाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं पर सीपीएचईईओ, भारत सरकार से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या एवं फैजाबाद के पत्र दिनांक 1472/एनपीपी/11 दिनांक 23.12.2011 एवं 1274/एनपीपी/11 दिनांक 22.12.2011 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। इन परियोजनाओं पर धनावंटन भारत सरकार स्तर पर प्रतीक्षित है।

निर्देश दिये गये कि उक्त दोनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं को अद्यतन् शिड्यूल आफ़ रेट्स के आधार पर पुनर्रीक्षणोपरान्त पुनरीक्षित डी.पी.आर. अविलम्ब भारत सरकार को प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाये तथा भूमि की व्यवस्था राज्य सेक्टर से की जा सकती है। प्रोसेसिंग प्लांट हेतु भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश की परियोजनाओं की "इन्डीपेन्डेन्ट रिव्यू एण्ड मानीटरिंग एजेन्सी"(आई.आर.एम.ए.) नियुक्त किये जाने के सम्बंध में अवगत कराया गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या के–14011/21/2008–यू.डी.–I दिनांक 19.11.2009 एवं पत्र संख्या के–14011/21/2008–यू.डी.–I दिनांक 03.05.2009 द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में से अधिकतम् लागत के क्रम में 10 प्रतिशत परियोजनाओं {अर्थात् 6 परियोजनाओं} का इरमा कार्य कराये जाने के सम्बंध में निर्गत दिशा--निर्देश के अनुसार कार्यक्रम के मार्च, 2012 से मार्च, 2014 तक के एक्स्टेन्डेड फेज़ में यू.आई.जी. कार्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत व निमार्णाधीन परियोजनाएं तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत उक्त मानक के अनुसार 6 परियोजनाओं–गाज़ियाबाद रोड्स एंड फ्लाई ओवर, फ़िरोज़ाबाद सीवरेज, लोनी सीवरेज, लोनी पेयजल. मैनपुरी सीवरेज तथा बरेली पेयजल का इरमा कार्य कराये जाने के लिये अनुमोदित "आर.एफ.पी." (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) पर भारत सरकार द्वारा 'शार्टलिस्टेड' 20 फर्मों से प्रस्ताव (टेक्निकल एवं फाइनैन्शियल) दिनांक 11.5.2012 तक आमन्त्रित किये गये। उक्त आर.एफ़.पी. पर 5 फ़र्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। एस.एल.एन.ए. द्वारा गठित "टेन्डर इवैलूएशन कमेटी" भारत सरकार की "टूल–किट" में निर्धारित पैरामीटर्स के सापेक्ष प्राप्त टेक्निकल बिड्स का मूल्यांकन किया गया। कमेटी द्वारा 3 फर्म यथा–मेसर्स कन्सल्टिंग इन्जीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) प्रा. लि., नई दिल्ली, मैसर्स वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्विसेज़ (इण्डिया) लि.,गुड़गॉव {भारत सरकार का एक उपकम} एवं मेसर्स एस.एन.सी.–लवलीन इनफ़्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., नोयडा के टेकनिकल बिड्स क्वालिफ़ाइड पाये गये। उक्त कमेटी की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में तथा मैसर्स कन्सल्टिंग इन्जीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) प्रा.लि.,नई दिल्ली का वित्तीय प्रस्ताव खुली स्थिति में (अर्थात बन्द लिफ़ाफ़े में नहीं) प्राप्त होने को परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा बैठक दिनांक 15.01.2013 में संज्ञान लेते हुए प्रथम न्यूनतम् निविदादाता फ़र्म मेसर्स एस.एन.सी.–लवलीन इनफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., नोयडा के द्वारा प्रस्तावित इरमा कार्य कराये जाने की संस्तुति की गई, जिसका अनुमोदन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सी.एस.एम.सी.('सेन्ट्रल सैंक्शनिंग एण्ड मानीटरिंग कमेटी') की बैठक दिनांक 26.02.2013 में प्रदान की गयी है। प्रश्नगत कार्य हेतु कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सम्पादित कराते हुए इरमा कार्य तत्काल प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रथम न्यूनतम् निविदादाता फ़र्म द्वारा कतिपय कारणवश शीघ्र अनुबंध किये जाने एवं इरमा कार्य प्रारम्भ कर पाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की गई है कि "Kindly consider our position and if you are in hurry to appoint IRMA immediately then we request you that you may find out different IRMA for your ongoing works". कतिपय परियोजनाओं (यू.आई.जी. कार्यांश) के उपयोगिता प्रमाण पत्र इरमा रिपोर्ट्स एवं इसके सापेक्ष अनुपालन आख्या की प्रत्याशा में शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा धनावंटन हेतु विचार किये जाने के लिये लम्बित रखे जाने, तथा कतिपय उपयोगिता प्रमाण पत्र इरमा रिपोर्ट्स एवं इसके सापेक्ष अनुपालन आख्या के अभाव में प्रेषित न हो पाने के परिणामस्वरूप इरमा कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा बैठक दिनांक 25.03.2013 में प्रस्तावित इरमा कार्य हेतु पायी गई द्वितीय न्यूनतम् निविदादाता संस्था मैसर्स वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्विसेज़ (इण्डिया) {वाप्कोस} लिमिटेड, गुड़गॉव के चयन हेतु परामर्शी मूल्यांकन समिति की संस्तुति शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को

अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा चुकी है, तथा उक्त संस्तुति स्वीकृति हेतु भारत सरकार के विचाराधीन है।

जेएनएनयूआरएम के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श में स्वीकृत 64 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं यथा–बलिया पेयजल, गोण्डा पेयजल, मुज़फ़्फ़रनगर पेयजल, एटा पेयजल, लहरपुर पेयजल, बागपत पेयजल, फैज़ाबाद पेयजल, बिजनौर पेयजल, हापुड़ पेयजल, मुरादाबाद पेयजल, गोरखपुर पेयजल, कन्नौज पेयजल, बस्ती रोड्स एंड फ्लाई ओवर, मैनपुरी सीवरेज, गाज़ीपुर पेयजल, नानपारा पेयजल, सम्भल पेयजल, फ़तेहपुर पेयजल, गाज़ियाबाद पेयजल, सण्डीला पेयजल, बलरामपुर पेयजल, पडरौना पेयजल, मऊ पेयजल, देवरिया पेयजल, फ़िरोज़ाबाद सीवरेज व गाज़ियाबाद रोड्स एण्ड फ्लाई ओवर के डी.पी.आर. के संशोधन/पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में गत बैठक में निर्देश दिये गये थे।

बैठक में कतिपय परियोजनाओं के स्कोप में परिवर्तन से अवगत कराया गया। इनमें गाज़ियाबाद रोडस एण्ड फ्लाई ओवर परियोजना, फ़िरोज़ाबाद सीवरेज परियोजना, गाज़ियाबाद (टीएचए) पेयजल परियोजना, गाज़ीपुर पेयजल परियोजना का उल्लेख किया गया। ऐसी परियोजनाओं के संशोधित डी.पी.आर. भारत सरकार को प्रेषित किये जायं, का अनुपालन न हो पाने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया तथा कड़े निर्देश दिये गये कि सम्बंधित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम/गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त का अनुपालन एक सप्ताह में सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाहीः उ.प्र.जल निगम/गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण/सी.एण्ड.डी.एस./सम्बंधित नगर निकाय/शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

<u>एजेण्डा बिन्दु 2.</u>–जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के वर्तमान चरण के "एक्सटेन्डेड फ़ेज़" में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं की शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु अनुमोदित किये जाने के सम्बंध में।

उक्त एजेण्डा बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में समिति के समक्ष 17 नई परियोजनाओं कुल अनुमानित लागत ₹ **1879.49** करोड़ के अन्तर्गत प्रस्तावों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया। समिति के समक्ष 5 नई परियोजनाओं, कुल अनुमानित लागत ₹ **381.265** करोड है, के अन्तर्गत प्रस्तावों को भी विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया, जो संक्षेप में निम्नवत है:–

(2.1) बाँदा पेयजल पुनर्गठन परियोजना–परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 293.47 करोड़ का प्रस्ताव निम्नानुसार सूचित किया गया :–

1– लक्ष्य–बाँदा नगर की पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना।

2– जल का श्रोत–बाँदा नगर से 40 कि.मी. दूर स्थित चिल्ला कस्बे में यमुना नदी से 25 क्यूसेक (56 एम.एल.डी.) कच्चा जल {जिसे लेने की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार से प्राप्त है}।

3– परियोजना से लाभान्वित जनसंख्या 4.00 लाख एवं पेयजल आपूर्ति में वृद्धि 51 एम.एल.डी.।